संख्या-27/2023/002-290-2334377-2023-12-5002-002-2-2023

प्रेषक,

राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 03-कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शनियां योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प्रसार/1498/कृ0प्र0प्रा0/2022-23, दिनांक 15-02-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 03-कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शनियां योजनान्तर्गत मानक मद 49-चिकित्सा व्यय में प्रस्तावित धनराशि रू० 295.50 लाख के सापेक्ष सम्प्रति रू0 148.00 लाख (रू0 एक करोड़ अड़तालिस लाख मात्र) के पुनर्विनियोग की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(5) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व विभाग का होगा।
(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,48,00,000 (रुपये एक करोड़ अड़तालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखाशीर्षक** 2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां **मानक मद** 49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-27/2023/002-290-2334377-2023-12-5002-002-2-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/संबंधित जनपदीय कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

I/291169/2023

फ-290/233437)-2023-12-5002-002-2023

प्रपत्र-बी0एम0-09 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को अच्छी-भाँति देख लिया जाए)

अनुदान संख्या व नाम -11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग — वित्तीय वर्ष 2022-2023
प्रपत्र बी0एम0-09

(धनराशि लाख रु0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2401 00 109 03 00 2401-फसल कृषि कर्म 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 03-कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शनियां योजना					
01-वेतन	35355.89	331.90	331.90	148.00	35207.89
योग	35355.89	331.90	331.90	148.00	35207.89

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8-11)
7	8	9	10	11	12
2401 00 109 03 00 2401-फसल कृषि कर्म 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 03-कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शनियां योजना					
05-स्था० यात्रा व्यय	6.00	39.50	33.50	0.00	6.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00	4.90	2.90	0.00	2.00
49-चिकित्सा व्यय	200.00	495.50	295.50	148.00	348.00
योग	208.00	539.90	331.90	148.00	356.00

~~(रु0 तीन करोड़ बत्तीस लाख नब्बे हजार मात्र)~~
(रु० एक करोड़ अड़तालीस लाख मात्र)

1- स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-
अ-अद्यतन व्यय के आधार पर बचत है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-10 में अंकित व्यायाधिक्य निम्नलिखित कारणों से है :-
ब-उक्त मदों में पर्याप्त धन की व्यवस्था न होने के कारण।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

बजट-1-500

संख्याः आर0ई0- /ई-1-दस-2023, दिनांकः 17-03-2023

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(अमर चन्द्र)
अनु सचिव (कृषि)

Signed by फूल चन्द यादव
हस्ताक्षर.....
Date: 09-03-2023 13:04:35
नाम व पदनाम.....(फूल चन्द यादव)
Reason: Approved

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

290-2334377-2023-12-5002-002-2-2023

संख्या :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से
(अमर चन्द्र)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।